तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स/एल.आर./2388/2006/नागौर** **सरकार बनाम गंगाराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ

श्री महेन्द्र लोढ़ा, सदस्य

उपस्थित :

श्री जानी सिंह, उप राजकीय अभिभाषक।

विपक्षी बावजूद सूचना अनुपस्थित

--

आदेश

दिनांकः–07.08.2025

1. यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय अति0 जिला कलक्टर, डीडवाना ने अपने आदेश दिनांक 27–03–2006 द्वारा राजस्व मंडल को प्रेषित किया गया है।

2. रेफरेन्स प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि तहसीलदार भू0अ0 मकराणा नागौर ने रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम बोरावड के खसरा नम्बर 206 रकबा 19 बीघा 03 बिस्वा किस्म गै0मु0 पायतन दर्ज रही है। सम्वत् 2008 बंदोबस्त वर्ष से 1975 तक खसरा नम्बर 206 की किस्म गै0मु0 पायतन दर्ज रही है। उपखण्ड अधिकारी परबतसर के आदेश दिनांक 22–05–75 मिसल संख्या 190/75 के अनुसार नामांतरकरण संख्या 452 श्री मंगाराम पुत्र श्री फवाईदान के पक्ष में रकबा 6.05 बीघा स्वीकृत हुआ। वर्तमान जमाबंदी सम्वत् 2058 से 61 में मंगाराम पुत्र फवाईदान जाति ढोली साकिन बोरावड का कब्जा काश्त है। पटवारी बोरावड की रिपोर्ट अनुसार वर्तमान में मंगाराम पुत्र फवाईदान जाति ढोली साकिन बोरावड का कब्जा काश्त है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अनुसार पानी के आवक स्त्रोत का आवंटन/ नियमन अवर्जित है। माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जोधपुर ने सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 में पारित निर्णय दिनांक

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स/एल.आर./2388/2006/नागौर** **सरकार बनाम गंगाराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	02–08–2004 में अभिनिर्धारित किया है कि ऐसी भूमि के सम्बंध में किये गये समस्त आवंटन/नियमन एवं बेचान अवैध है। अतः रेफरेन्स स्वीकार फरमाये जाने का निवेदन किया। 3. न्यायालय अति0 जिला कलक्टर डीडवाना, नागौर ने उक्त रेफरेन्स प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया तथा अपने निर्णय दिनांक 27–03–2006 के द्वारा स्वीकार कर मण्डल को अनुशंषा हेतु प्रेषित किया है। 4. विपक्षीगण को रजि0ए0डी0 नोटिस जारी किये 45 दिवस से अधिक का समय हो चुका है। बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए विद्वान अभिभाषक प्रार्थी/उपराजकीय अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। 5. विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने बहस करते हुये अभिकथन किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उदभूत नही होते है। यह कि डी0बी सिविल जन हित याचिका सं0 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02–08–2004 के द्वारा नदी, नाले, जलाशय आदि की भूमि जो दिनांक 15.08.1947 में राजस्व रिकार्ड मं दर्ज है को वापस सरकारी भूमि दर्ज करने एवं इसके बाद हुए परिवर्तन को अवैध घोषित किये जाने के निर्देश है। अतः रेफरेंस स्वीकार किये जाने का आदेश फरमाया जावे। 6. अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात व निर्णय का आद्योपान्त अवलोकन व अध्ययन किया गया। पत्रावली के साथ नकल खतौनी सम्वत् 2006–2008 संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>रेफरेन्स/एल.आर./2388/2006/नागौर</u>** **सरकार बनाम गंगाराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	बोरावड तहसील परबतसर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 206 किस्म गै0मु0 पायतन दर्ज है। नकल नामांतरकरण संख्या 452 संलग्न है। नकल जमाबंदी सम्वत् 2058–61 संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम बोरावड में स्थित खाता संख्या नया 306 में स्थित खसरा नम्बर 206 मि0 रकबा 6.05 बीघा भूमि मंगाराम पुत्र फवाईदान के नाम खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट संलग्न है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत आराजी कि किस्म गै0मु0 पायतन दर्ज थी जो बाद में अप्रार्थीगण के नाम दर्ज की गई। 7– राजस्व विधियों एवं नियमों के अनुसार **''गै0मु0 नाला/नदी''** किस्म की भूमि ना तो आवंटन/नियमन योग्य है और ना ही ऐसी भूमि में किसी को खातेदारी अधिकार मिल सकते हैं। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 का नियम 4 (प) निम्न प्रकार हैः– "4. Land not available for allotment under these rules.- The following categories of lands shall not be available for allotment for agricultural purposes under these rules, namely- (i) Land mentioned in the section 16 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955" 8. इसी प्रकार से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधान निम्न प्रकार हैः– **16. Land on which Khatedari rights shall not accrue.-** Notwithstanding anything in this Act or in any other law or	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स/एल.आर./2388/2006/नागौर** **सरकार बनाम गंगाराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

enactment for the time being in force in any part of the State Khatedari rights shall not accrue in-
(ii)Land used for casual or occasional cultivation in the bed of river or tank;

9. प्रश्नगत भूमि पूर्व में **गै0मु0 पायतन** की भूमि अंकित होने से उक्त आराजी धारा 16 अधिनियम, 1955 एवं राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम, 1970 के प्रावधानों के तहत आवंटन/नियमन से प्रतिबंधित आराजीयात है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार आदेश दिनांक 2-8-2004 में निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये हैंः-

All land shown as drainage channels like nalla rivers, tributaries etc. as on 15-8-1947 should be declared as Government land. Any conversions made after 15-8-1947 should be declared illegal. The relevant act at rules must be amended accordingly.

10. उपरोक्तानुसार भी 15 अगस्त 1947 की राजस्व अभिलेख की स्थिति यथावत रखी जानी चाहिए। अतः इस प्रकार की स्थिति में न्यायालय अति0 कलक्टर डीडवाना, नागौर द्वारा मण्डल को प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में रेफरेन्स किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स/एल.आर./2388/2006/नागौर** **सरकार बनाम गंगाराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	की गई है। 11– परिणामस्वरूप रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर मौजा बारावड के खसरा नम्बर 206 मि0 रकबा 6.05 बीघा पर अप्रार्थीगण की खातेदारी निरस्त कर प्रश्नगत भूमि को पुनः गै0मु0 पायतन दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। 12– इस आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली अविलम्ब लौटाई जावे तथा पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(डॉ महेन्द्र लोढ़ा)** **सदस्य**	